पचो डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 246/2025

अनवान :

1. अजय कुमार पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा :– वादी

बनाम

1. तिलोकचन्द पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा। ।
2. सचिन सहु पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिंहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा नूवां के खाता सं0 351/243 के ख0सं0 558/476 की 1.5180 है0, खसरा संख्या 559/476 की 1.8720 है0, खसरा संख्या 563/203 की 3.575 है0, खसरा संख्या 570/431 की 0.1830 है0, खसरा संख्या 574/430 की 4.255 है0, खसरा संख्या 578/566 की 1.4256 है0 कुल खसरे 6 की कुल रकबा 12.8286 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 तिलोकचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाय वादी अजय कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 सचिन सहु को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..03.03.26.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उडसरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested